P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-9* May- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) : एक आलोचनात्मक अध्ययन

Remedial Petition (Curative Petition): A Critical Study

Paper Submission: 20 /05/2020, Date of Acceptance: 23/05/2020, Date of Publication: 28/05/2020

संजय कुमार रायपुरिया
सहायक आचार्य,
राजकीय विधि महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

हमारे देश में उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, जिसे देश की साधारण विधियों की व्याख्या के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य–क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। भारत में सुधारात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी बेगुनाह को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है, इसलिए अगर उच्चतम न्यायालय को यह लगता है कि उसके निर्णय में कोई त्रुटि रह गई है, जिससे पीड़ित व्यक्ति के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है, और उसके साथ अन्याय हो गया तो पीड़ित व्यक्ति अंतिम न्यायिक उपाय के रूप में उच्चतम न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दायर कर सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय को यह लगता है कि उससे कोई चूक हो गई है, जिससे पीड़ित के साथ अन्याय हो गया तो उच्चतम न्यायालय न्याय हित में उपचारात्मक याचिका को स्वीकार कर पूर्व में हुई त्रुटि को सुधार सकता है।

The Supreme Court in our country is called the Protector of the Constitution, which is empowered to give the final decision regarding the interpretation of the ordinary laws of the country. Article 141 of the Constitution of India states that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Article 137 of the Constitution empowers the Supreme Court to review its decisions. In India, under corrective system, killing an innocent is equivalent to killing the human being, so if the Supreme Court feels that there has been an error in its decision, which has violated the principles of natural justice of the victim, and If injustice is done then the aggrieved person can file a remedial petition in the Supreme Court as a final judicial remedy. If the Supreme Court feels that there has been an omission that has caused injustice to the victim, the Supreme Court can rectify the error in the past by accepting the remedial petition in the interest of justice.

मुख्य शब्द : उच्चतम न्यायालय, पुनर्विलोकन, अंतिम निर्णय, उपचारात्मक याचिका।

Supreme Court, Review, Final Judgment, Remedial Petition.

प्रस्तावना

'क्यूरेटिव पिटीशन' शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के 'Cure* शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'उपचार' होता है। हाल ही में निर्भया केस के चारों दोषियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। निर्भया मामले के चार दोषियों द्वारा अलग–अलग समय में सर्वोच्च न्यायालय में उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दोषियों को मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा।

सभी दोषियों को 20 मार्च को प्रातः 5.30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। विदित है कि उपचारात्मक याचिका जब तक उच्चतम

न्यायालय में लम्बित रहती है, तब तक डेथ वारंट (Death warrant) पर रोक लगी रहती है।

उच्चतम न्यायालय से मृत्युदंड प्राप्त किसी व्यक्ति के पास इस सजा से बचने के लिए दो कानूनी विकल्प उपलब्ध होते हैं :–

1. दया याचिका (Mercy Petition)
2. पुनर्विचार याचिका (Review Petition)

दया याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह सजा को पूर्णतया माफ कर सकता है, या उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है जबकि पुनर्विचार याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायायलय में दायर की जाती है।

इन दोनों अधिकारों के खारिज होने के बाद भी दोषी व्यक्ति के पास 'उपचारात्मक याचिका' का विकल्प बचता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार है

1. उपचारात्मक याचिका की मूल अवधारणा के बारे में आम जनता को जागरूक करना।
2. उपचारात्मक याचिका का प्रयोग दोषी व्यक्ति द्वारा ढ़ाल के रूप में न कर के तलवार के रूप में किया जा रहा है, जिससे न्याय में विलम्ब होता है।
3. उपचारात्मक याचिका का दुरुपयोग रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय का ध्यानाकर्षण किया गया है।

उपचारात्मक याचिका की अवधारणा

भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं। किसी भी अधिकार का अस्तित्व उसके उपचारों पर आधारित होता है, उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व ही सम्भव नहीं है। भारतीय संविधान की यह एक विशेषता है कि यहां अधिकारों का विशद् उल्लेख किया गया है, वही इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारों का भी समावेश किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32(1) नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित निदेश या रिट जिनके अन्तर्गत बंदी–प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार–प्रच्छा और उत्प्रेषण सम्मिलित है, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारों के प्रवर्तन की यह शक्ति अत्यन्त व्यापक है, इस सम्बंध में उस पर कोई परिसीमा या निर्बधन नहीं है। अगर उच्चतम न्यायालय को किसी विशेष मामले यह लगता है, कि बंदी–प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट के अलावा अन्य कोई रिट जारी करने की आवश्यकता है तो वह ऐसा कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने अपनी इस अधिकारिता का प्रयोग सर्वप्रथम 2002 में अपने ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्व के निर्णय रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा के मामले में किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान यह प्रश्न पैदा हुआ कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गए किसी व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद क्या दोषी व्यक्ति के पास सजा से राहत के लिए कोई न्यायिक विकल्प बचता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने द्वारा ही दिये गए निर्णय को बदलने के लिए उपचारात्मक याचिका की एक नई अवधारणा को जन्म दिया गया। उच्चतम न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों (मुख्य न्यायामूर्ति एस.पी.भरूचा, श्री ए.एस. कादरी, श्री एस.एस. मरीयावा, श्री शिवराज वी. पाटील और श्री यू.सी. बनर्जी) की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन अपने अन्तिम निर्णय को 'जिसकी रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है; गम्भीर अन्याय के निवारण हेतु पुनर्विलोकन कर सकता है। इस नई अवधारणा को उच्चतम न्यायालय ने 'उपचारात्मक याचिका' (curative petition) का नाम दिया। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे गंभीर अन्याय के मामलों में वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए चुनौती देने का न्याय का एक नया रास्ता खुल गया।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री एस. पी. भरूचा ने अवलोकन किया कि –

"हमारा मत है कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मानव सुलभ कमजोरियों की परिसीमा के अधीन रहते हुए उत्तम कार्य करते है। किन्तु ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है जिसमें विरल से विरलतम मामलों में अन्तिम निर्णय में गम्भीर अन्याय को ठीक करने की हमसे अपेक्षा की जा सकती है।"

न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति श्री कादरी ने कहा कि "हमें यह निर्णय देने के लिए सहमत होना पड़ा कि ऐसे विरल से विरलतम मामलों में न्याय करने का कर्त्तव्य निर्णय की निश्चितता की नीति के ऊपर अभिभावी होगी। यद्यपि यह सार्वजनिक हित में है कि अन्तिम न्यायालय का निर्णय निश्चित हो और उसे चुनौती न दी जाए, किन्तु न्याय देने की चिन्ता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जहाँ ऐसा निर्णय नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करता हो या उसमें न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया हो।"

इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय को भी उपचारात्मक याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

उपचारात्मक याचिका फाइल करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका दायर करने एवं इसका दुरुपयोग रोकने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश विहित किये है, जो निम्न प्रकार है :–

1. याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में यह बताना होगा कि वास्तव में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ था, जिससे उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

2. क्यूरेटिव याचिका की न्यायालय तब सुनवाई करेगा जब किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि ऐसी याचिका की अपेक्षाएँ पूरी हो गई है अर्थात वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाण पत्र याचिका के साथ में संलग्न करना होगा।
3. क्यूरेटिव याचिका को सबसे पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों (जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है) की पीठ के पास भेजा जायेगा और यदि वे आवश्यक समझेगें तभी इस क्यूरेटिव याचिका को पुनर्विलोकन के लिए वापस उसी खण्डपीठ को भेजा जायेगा जिसने निर्णय सुनाया था।
4. यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि ऐसी याचिका योग्यता पर आधारित नहीं है, निराधार है, तो वह याचिकाकर्ता पर उदाहरणात्मक जुर्माना भी लगा सकता है।

आलोचना

उपचारात्मक याचिका की कुछ विद्वानों विधिवेत्ताओं ने आलोचना भी की है, जो निम्न प्रकार है :–

1. कुछ विधिवेत्ताओं के अनुसार न्यायालय का यह निर्णय सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान ने उच्चतम न्यायालय को याचिकाकर्ता के मामलें में विचार करके निर्णय करने के दो अवसर प्रदान किए हैं– पहला अनुच्छेद 32 के अधीन याचिका पर पूर्ण विचार करके निर्णय देने का और दूसरा अनुच्छेद 137 के अधीन यदि अन्तिम निर्णय में कोई त्रुटि रह गयी हो तो पुनर्विलोकन करने का। दोनों मामलों में ही न्यायालय गहन विचार–विमर्श करके अपना निर्णय सुनाता है।

इसके बावजूद जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीशगण गल्ती कर सकते हैं, और न्याय करने के उद्देश्य से 'उपचारात्मक याचिका' द्वारा न्यायालय अपने अन्तिम निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। न्यायिक निर्णयों की सर्वव्यापकता उसकी निश्चितता पर आधारित है, न्यायालय का यह कहना कि हम न्याय को निश्चितता से ऊपर मानते हैं, सही नहीं है। क्योंकि इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि कि उपचारात्मक याचिका पर निर्णय के पश्चात याचिकाकर्ता संतुष्ट हो जाये कि उसे न्याय मिल गया और न्यायाधीशगण संतुष्ट हो पायें कि मानवीय कमजोरियों के कारण होने वाली गल्ती से बिल्कुल मुक्त होकर देवता की श्रेणी में आ जाए।

2. दूसरी आलोचना इस बात को लेकर की गई है, कि इसका लाभ आम गरीब जनता को न मिलकर धनी एवं सम्पन्न लोगों को मिलेगा क्योंकि उपचारात्मक याचिका दायर करने से पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जो शर्त लगाई गई है, वह धनी एवं सम्पन्न लोगों को मिलेगा क्योंकि वह उसकी मोटी फीस देने में सक्षम है। आम गरीब जनता वरिष्ठ अधिवक्ता की मोटी फीस चुकाने में असमर्थ है, अतः वह वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकेगी जिससे न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा।

निष्कर्ष

उपचारात्मक याचिका का मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्रदान करना था, इसलिए इसे अंतिम न्यायिक उपचार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हाल ही में निर्भया के मामले में हमने देखा कि इसका दुरुपयोग न्याय में विलम्ब करने के आशय से किया गया। दोषी व्यक्ति उपचारात्मक याचिका के अधिकार का प्रयोग ढ़ाल के रूप में न करके, तलवार की भांति कर रहा है, जिससे न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। न्यायालयों में वैसे ही करोड़ों मामले लम्बित चल रहे है, जिनमें शीघ्र निर्णय की अपेक्षा की जाती है। विधि की एक पुरानी कहावत है कि 'विलम्ब से न्याय का गला घुट (Delay defeats equity)' जाता है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे आवश्यक दिशा–निर्देश विहित करने होंगे जिससे कोई व्यक्ति इस याचिका का दुरुपयोग न्याय में विलम्ब करने के उद्देश्य से ना कर सके, इसका लाभ गरीब आम जनता को मिल सके और न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *पाण्डेय, जे.एन. "भारत का संविधान", सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2004*
2. *आस्टिन, ग्रेनविल, "इण्डियन कोन्स्टिट्यूशन कार्नस्टोन आफ द नेशन", आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस, नई दिल्ली, 1966*
3. *हरेन्द्र झा बनाम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, भारत सरकार, ए. आई. आर. 2008 एस.सी.*
4. *प्राण सुख एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, ए. आई.आर. 2015 एस.सी.*
5. *रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा, ए.आई. आर. 2002 एस.सी.*
6. *शौकत हुसैन गुरु बनाम स्टेट ऑफ देहली, ए.आई. आर. 2008 एस.सी.*
7. *सुमेर बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., ए.आई.आर. 2005 एस. सी.*
8. *विनय शर्मा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए.आई. आर. 2020, एस.सी.*
9. *याकूब अब्दुल मेमन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए. आई. आर. 2015 एस.सी.*